रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2012/ज्येष्ठ 23, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 59
No. 102] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2012/JYAISTHA 23, 1934 [N.C.T.D. No. 59

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 13 जून, 2012

सं. फा. 10(3)/वित्त (रा.ज.-1)/2012-13/डीएस III/447.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री राज पाल सिंह, दानिक्स/तदर्थ दानिक्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके पद पर बने रहने तक सहायक आयुक्त (आबकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(3)/वित्त (रा.ज.-1)/2012-13/डीएस III/447.—दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री राज पाल सिंह, दानिक्स/तदर्थ दानिक्स को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त, दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर बने रहने तक विलासिता कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(3)/वित्त (रा.ज.-1)/2012-13/डीएस III/447.—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री राज पाल सिंह, दानिक्स/तदर्थ दानिक्स को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त, दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री राज पाल सिंह, दानिक्स/तदर्थ दानिक्स को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उक्त पद पर बने रहने तक मनोरंजन एवं बाजीकर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 13th June, 2012

No. F. 10(3)/Fin.(Rev.-I)/2012-13/DS III/447.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Raj Pal Singh, DANICS/Ad hoc DANICS of the Government of National Capital Territory of Delhi as Assistant Commissioner (Excise) for the purpose of performing the functions as specified under the aforesaid Act with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(3)/Fin.(Rev.-I)/2012-13/DS III/447.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Raj Pal Singh, DANICS/Ad hoc DANICS as Luxury Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entt. & Betting Tax and Luxury Tax, Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(3)/Fin.(Rev.-I)/2012-13/DS III/447.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Raj Pal Singh, DANICS/Ad hoc DANICS as Entertainment and Betting Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entt. & Betting Tax and Luxuries Tax, Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

सं. फा. 10(4)/वित्त (राज.-1)/2011-12/डीएस III/446.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के दानिक्स परिवीक्षार्थी को उपरोक्त अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के निवर्हन के उद्देश्य के लिए, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान दिनांक 16-7-2012 से 09-8-2012 तक, सहायक आयुक्त (आबकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षार्थी का नाम
1.	श्री प्रांजल जे. हजारिका
2.	नवलेन्द्र कुमार सिंह
3.	श्री विवेक अग्रवाल

सं. फा. 10(4)/वित्त (राज.-1)/2011-12/डीएस III/446.—दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली सरकार के दानिक्स परिवीक्षार्थी को फील्ड ट्रेनिंग के दौरान दिनांक 16-7-2012 से 09-8-2012 तक, विलासिता कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षार्थी का नाम
1.	श्री प्रांजल जे. हजारिका
2.	नवलेन्द्र कुमार सिंह
3.	श्री विवेक अग्रवाल

सं. फा. 10(4)/वित्त (राज.-1)/2011-12/डीएस III/446.—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम, 8) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर आयुक्त, दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली सरकार के निम्नलिखित दानिक्स परिवीक्षार्थी को फील्ड ट्रेनिंग के दौरान दिनांक 16-7-2012 से 09-8-2012 तक मनोरंजन एवं बाजीकर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षार्थी का नाम
1.	श्री प्रांजल जे. हजारिका
2.	नवलेन्द्र कुमार सिंह
3.	श्री विवेक अग्रवाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. कामरा, उप-सचिव-III (वित्त)

No. F. 10(4)/Fin.(Rev.-I)/2011-12/DS III/446.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territory of Delhi as Assistant Commissioner (Excise) for the purpose of performing the functions as specified under the aforesaid Act during their field training in Excise Department w.e.f. 16-7-2012 to 09-8-2012 :—

S.No.	Name of the Probationer
1.	Sh. Pranjal J. Hazarika
2.	Sh. Navlendra Kumar Singh
3.	Sh. Vivek Aggarwal

No. F. 10(4)/Fin.(Rev.-I)/2011-12/DS III/446.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territrory of Delhi as Luxury Tax Officers, to assist the Commissioner of Excise, Entt. and betting tax and Luxury Tax, Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act during their field training in Excise

Department w.e.f. 16-7-2012 to 09-8-2012 :—

S. No.	Name of the Probationer
1.	Sh. Pranjal J. Hazarika
2.	Sh. Navlendra Kumar Singh
3.	Sh. Vivek Aggarwal

No. F. 10(4)/Fin.(Rev.-I)/2011-12/DS III/446.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territory of Delhi as Entertainment and Betting Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entt. and betting tax and Luxury Tax, Delhi in the discharge of his functions under the aforesaid Act during their field training in Excise Department w.e.f. 16-7-2012 to 09-8-2012 :—

S. No.	Name of the Probationer
1.	Sh. Pranjal J. Hazarika
2.	Sh. Navlendra Kumar Singh
3.	Sh. Vivek Aggarwal

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. KAMRA, Dy. Secy.-III (Finance)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जून, 2012

फा. सं. 2/206/2002/डीआईएमएमएच/होम्यो./2405.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68 डी.एच.एस. के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के उपरान्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) की भर्ती पद्धति के संबंध यहाँ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(क) इन नियमों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) नियमावली, 2012 कहा जायेगा ।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "आयोग" से अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है ।

(ख) "नियंत्रण प्राधिकरण" से अभिप्राय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है ।

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्राय सेवा के समूह 'क' पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची IV में उल्लिखित समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति से है ।

(घ) "ड्यूटी पद" से अभिप्राय अनुसूची II में उल्लिखित कोई भी स्थायी या अस्थायी पद से है ।

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239 'कक' के अंतर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल से है ।

(च) "ग्रेड" से अभिप्राय अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी ग्रेड से है ।

(छ) "अनुसूची" से अभिप्राय उन नियमों की अनुसूची से है ।

(ज) "सेवा" से अभिप्राय होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा से है ।

(झ) "संबद्ध चिकित्सा विषय" का अभिप्राय एनॉटमी फिजियोलॉजी (बायोकेमिस्ट्री के साथ), पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसन एवं टॉक्सिकॉलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी,ऑब्सटेट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी तथा कम्यूनिटी मेडिसिन से है ।

(ञ) "होम्योपैथिक विषय" का अभिप्राय आर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मैटीरिया मेडिका और रेपरटरी से है ।

3-**सेवा का गठन** :—

(1) एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) (समूह क) के नाम से जाना जाएगा और इसमें इस नियमावली के नियम 7 और 8 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे ।

(2) सेवा में शामिल सभी पद समूह 'क' के पद होंगे ।

4. **सेवा का ढांचा** :—

सेवा में शामिल सभी कार्य पदों को सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और ग्रेड, वेतनमान, प्रैक्टिसबंदी भत्ता और उससे संबंधित अन्य मामलों का अनुसूची-I में उल्लेख किया जाएगा ।

5. **सेवा की अधिकृत संख्या** :—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत संख्या अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत स्थायी संख्या यथा नियत समय-समय पर भिन्न-भिन्न होगी ।

(ग) सरकार समय-समय पर जरूरत पड़ने पर विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की संख्या में अस्थायी बढ़ोतरी या कटौती कर सकती है ।

(घ) सरकार आयोग की सलाह से अनुसूची-II में शामिल पदों के अलावा उक्त अनुसूची में सेवा के किसी अन्य पद को शामिल कर सकती है और निकाल सकती है ।

(ङ.) सरकार आयोग की सलाह से उप-नियम(घ) के तहत सेवा में शामिल पद के किसी अधिकारी को, जैसा उपयुक्त समझे, अस्थायी या स्थायी हैसियत के उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और सदृश ग्रेड में उसकी नियमित सेवा को ध्यान में रखकर उसका वरिष्ठताक्रम तय कर सकती है ।

(च) प्रत्येक उप-संवर्ग (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों के अतिरिक्त) के कुल पदों के 10 प्रतिशत पदों को "प्रशिक्षण/अवकाश/प्रतिनियुक्ति आरक्षित या रिजर्व" के रूप में सेवा में शामिल किया जाएगा ।

6. **सेवा के सदस्य :—**

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे,

(क) नियम 5 के उप-नियम (ङ.) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति ।

(ख) नियम 7 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(ग) नियम 8 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति और

(2) उप-नियम (1) के उपबंध (ख) के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची II में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध (ग) के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची-II में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य मान लिया जाएगा ।

7. **सेवा का आरंभिक गठन :—**

(1) होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग की दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं के तहत नियुक्त सभी अधिकारी इन नियमों के आरंभ होने के समय और इससे पहले इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त माने जायेंगे और वे अपने-अपने ग्रेड में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) इन नियमों के आरम्भ होने के पहले उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा को पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और पेंशन के लिए महत्व दिया जाएगा ।

(क) वर्तमान चिकित्सा अधिकारी (अध्यापन) (होम्योपैथी) को आरंभिक गठन के पुन: पदनामित व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषयों एवं होम्योपैथिक विषयों) में उन्हें रखने के लिए व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषयों एवं होम्योपैथिक विषयों) के पद के लिये सीधी भर्ती हेतु निर्धारित तथा अनुसूची V में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

(ख) आयोग द्वारा भर्ती किये गये व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषयों एवं होम्योपैथिक विषयों) में सेवा के सदस्य के रूप में विलय किये गए, मान लिया जाएगा ।

(ग) वर्तमान सहायक प्राध्यापक (सहबद्ध चिकित्सा विषयों और होम्योपैथिक विषयों) के आरंभिक गठन के पुन: पदनामित पद रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषयों और होम्योपैथिक विषयों) में उन्हें रखने के लिये केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् (शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 1983, (सितम्बर, 2002 तक यथासंशोधित) में रीडर (सहबद्ध विषयों एवं होम्योपैथिक विषयों) तथा अनुसूची VI में उल्लिखित योग्यताओं के आधार पर आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

(घ) पूर्व संशोधित वेतनमान 10000-15200 रुपये जो कि संशोधित 15600-39100 रुपये + ग्रेड पे 6600 रुपये में कार्यरत रहे वर्तमान प्रोफेसर जिन्होंने उस ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग द्वारा निर्धारित होकर रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 रुपये के उच्चीकृत वेतनमान में सेवा के आरंभिक गठन में रखे जायेंगे । योग्य पाये जाने पर वह सेवा के आरंभिक गठन में पद पर नियुक्त समझे जायेंगे । उच्चीकृत वेतनमान की नियुक्ति में अयोग्य पाये जाने पर उनको 10000-15200 रुपये (पूर्व संशोधित) वेतनमान में ही रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष उनके मामले की समीक्षा की जाएगी ।

(ङ.) पूर्व संशोधित वेतनमान 12000-16500 रुपये (पूर्व संशोधित) जो कि संशोधित 15600-39100 रुपये + 7600 रुपये ग्रेड पे में कार्यरत वर्तमान प्रधानाचार्य जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग द्वारा निर्धारित होकर रु. 37400-67000 रुपये +10000 रुपये (जी.पी.) के उच्चीकृत वेतनमान में सेवा के आरंभिक गठन में रखे जायेंगे । योग्य पाये जाने पर वह सेवा के आरंभिक गठन में पद पर नियुक्त पाये जायेंगे । उच्चीकृत वेतनमान की नियुक्ति में अयोग्य पाये जाने पर उनको 12000-16500 रुपये (पूर्व संशोधित) जो कि संशोधित वेतनमान 15600-39100 रुपये +7600 रुपये ग्रेड पे में ही रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष उनके मामले की समीक्षा की जाएगी ।

8. **सेवा की भावी निरंतरता :—**

(1) अनुसूची II में उल्लिखित किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को इन नियमों में दिए गए तरीके से भरा जाएगा ।

(2) सामान्यत: शिक्षण संवर्ग में प्रवेश व्याख्याता/लेक्चरर (होम्योपैथी) तथा व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय) के स्तर पर, वेतनमान 15600-39100 रुपये +5400 रुपये ग्रेड पे में होगा । सम्बद्ध पदों पर, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति या पदोन्नति के लिए नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट होगा ।

(3) (क) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों के लिए ही होंगी ।

(ख) उच्च पदों पर विभागीय पदोन्नतियां, अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड में सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठताक्रम एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी ।

(4) यदि सेवा के किसी ग्रेड पर नियुक्त अधिकारी के नाम पर उच्चतर ग्रेड हेतु पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है, तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा । बशर्ते कि आवश्यक अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो या 2 वर्ष, जो भी कम हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ सदस्यों के साथ जिन्होंने पहले ही अर्हता/पात्रता सेवा अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पूरी कर ली हो ।

(5) (क) किसी भी सेवारत अधिकारी को गैर-चयन आधार (वरिष्ठताक्रम एवं उपयुक्तता) पर नियुक्ति करते समय, सेवा को कायम रखने के लिए अधिकारियों का चयन आयोग के विचार-विमर्श से और जहां आवश्यक हो, वहां अनुसूची -IV के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा ।

(ख) सेवा में व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय) पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा अनुसूची-V में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

टिप्पण.—व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय) पद के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण अथवा लम्बी बीमारी या अध्ययन-अवकाश अथवा किसी और कारणवश एक वर्ष या उससे अधिक अवधि होने पर उत्पन्न हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था/अर्धसरकारी संगठन/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती हैं जिन मानकों का उल्लेख अनुसूची V में किया गया है ।

9. **शैक्षणिक पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरना (अल्पकालिक संविदा सहित) (आई.एस.टी.सी.) :—**

(क) नियम 8 में कुछ भी रहते हुए जहाँ वरिष्ठ पद, पदोन्नति द्वारा नहीं भरे गये हैं और सरकार का अभिमत है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार (संघ राज्य) क्षेत्र में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा संवैधानिक/स्वायत्त निकायों/अर्धसरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध संस्थान द्वारा अल्पकालिक संविदा द्वारा व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय) के पद पर कुछ पद लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर एवं आयोग के परामर्श से भरे जायेंगे ।

(ख) प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी जो कि विशेष परिस्थितियों में सरकार पाँच वर्ष तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है ।

(ग) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) आधार पर ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकारियों को अन्य के साथ इन नियमों की अनुसूची VI के पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं को पूरा करना होगा ।

10. **वरिष्ठता :—**

(क) नियम 6(1) के अंतर्गत सेवा के आरम्भिक गठन के समय, ग्रेड में अपने उपसंवर्ग में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, इन नियमों की आरम्भ तिथि से होगी ।

यदि किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को तय नहीं की गई थी तो इन नियमों से पहले वरिष्ठता निर्धारित करने वाले नियमों के आधार पर उसकी वरिष्ठता तय की जाएगी अथवा जैसी भी स्थिति हो आयोग के परामर्श से तय की जाएगी ।

(ख) नियम 6(1) के तहत अधिकारियों के अलावा दूसरे पदों पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता इस संबंध में केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।

(ग) सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता नियम 5 के उप-नियम (ङ.) के अनुसार उनमें निहित मामले के अनुसार तय की जाएगी ।

(घ) उक्त प्रावधानों से बाहर मामलों को आयोग के विचार-विमर्श से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा ।

11. **परिवीक्षा :—**

(क) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

उपबंध है कि नियंत्रण प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है । आगे उपबंध है कि पिछली परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा और उक्त अवधि के अन्दर संबद्ध अधिकारी को कारण सहित लिखित में सूचना दी जाएगी ।

(ख) परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि पूरी होने पर यदि आरंभिक ग्रेड में पहले स्थायी नहीं किया गया है तो उपयुक्त पाए जाने पर अधिकारियों को पद पर स्थायी किया जाए ।

3112 DG/12-2

(ग) यदि परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान सरकार के विचार में कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को पदमुक्त कर सकती है या सेवा में नियुक्ति से पहले के पद पर वापस भेज सकती है जैसी भी स्थिति हो ।

(घ) परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान सरकार द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अनुदेशों को पूरा करें तथा ऐसी परीक्षा एवं जांच (हिन्दी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करें जैसा सरकार परिवीक्षा की सन्तोषजनक पूर्णता के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझे ।

(ङ.) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश लागू होंगे ।

12. **सेवा के लिए नियुक्ति.**—सेवा की सभी नियुक्तियां आयोग के परामर्श से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

13. **सेवा के दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें :—**

(क) सेवा में नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी कार्य करना पड़ेगा ।

(ख) निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित ।

(ग) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी ।

(घ) ऐसे व्यक्ति अनुसूची I में उल्लिखित दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ते के अधिकारी होंगे ।

(ङ.) इन नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न किए गए मामलों के सम्बन्ध में सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित होंगी तथा सेवा के बारे में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के अधीन होंगी और सामान्यत: केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों पर लागू भर्ती के समान होंगी ।

(च) नियम 6 के उप-नियम (1) के प्रारंभ होने से पूर्व तथा जिन अधिकारियों की नियुक्ति 1-1-2004 से पहले हुई है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होंगे ।

(छ) नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत 1-1-2004 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी, नई पेंशन स्कीम 1972 द्वारा शासित होंगे ।

14. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह का करार किया है जिसकी पति या पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह कर लिया हो ।

यदि सरकार संतुष्ट हो जाए कि व्यक्ति पर लागू स्वीय कानून के अंतर्गत तथा विवाह के दूसरे पक्ष को ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा किए जाने के दूसरे आधार हैं तो इस नियम से छूट दे सकती है ।

15. **छूट की शक्ति.**—यदि सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है तो सरकार लिखित में दर्ज कारणों द्वारा और आयोग के विचार-विमर्श से व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है ।

16. **बचाव.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य छूट प्रभावित नहीं होगी ।

17. **व्याख्या.**—इन नियमों की व्याख्या के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो सरकार आयोग के परामर्श से उसका फैसला करेगी ।

18. **निरसन.**—अधिसूचना सं. फा. 33/3/90 एच एंड एफ डब्ल्यू II दिनांक 3-8-1999, सं. फा. 1/8/99 एच एंड एफ डब्ल्यू दिनांक 11-8-2001 और सं. फा. 53/10/97 एच एंड एफ डब्ल्यू दिनांक 10-6-1978 द्वारा अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी (अध्यापन) (होम्योपैथी), असिस्टेंट प्रोफेसर (सहबद्ध एवं होम्योपैथिक विषय), प्रोफेसर और प्रधानाचार्य के पद के भर्ती नियम निरस्त किये जाते हैं ।

अनुसूची-I

ग्रेड, वेतनमान और प्रेक्टिसबंदी भत्ता इत्यादि

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) में शामिल समूह "क" पद

I ग्रेड और वेतनमान

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधानाचार्य	पी.बी.-4 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 10000 रुपये
2.	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	पी.बी.-4 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये

(1)	(2)	(3)
3.	प्रोफेसर (होम्योपैथिक विषय)	पी.बी.-4 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये
4.	रीडर (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये
5.	रीडर (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) (होम्योपैथिक विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये
6.	रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 6600 रुपये
7.	रीडर (होम्योपैथिक विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 6600 रुपये
8.	व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 5400 रुपये
9.	व्याख्याता/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)	पी.बी.-3 15600-39100 रुपये ग्रेड पे 5400 रुपये

II प्रैक्टिसबंदी भत्ता — केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित आदेशों के अनुसार ग्राह्य ।

III वार्षिक भत्ता — केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित यात्रा भत्ता एवं अकादमिक भत्ता ग्राह्य ।

अनुसूची-II

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) की अधिकृत संख्या

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान	
(1)	(2)	(3)	
		एन.एच.एम.सी.	एस.एच.एम.सी.
1.	प्रधानाचार्य	1	1
2.	प्रोफेसर (होम्योपैथिक विषय)		
2.1	आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	3	1
2.2	होम्योपैथिक मेटिरिया मेडिका	3	1
2.3	रेपरटरी	2	1
2.4	होम्योपैथिक फार्मेसी	2	1
3.	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
3.1	एनाटमी	1	–
3.2	फिजियोलॉजी बायोकैमिस्ट्री सहित	1	–
3.3	सर्जरी	1	–
3.4	पैथॉलोजी एवं माईक्रोबायोलोजी	1	–
3.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टाक्सिकोलोजी	1	–
3.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	–
3.7	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	1	1
3.8	आब्सटैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	1	–
4	सहायक प्रोफेसर/रीडर (होम्योपैथिक विषय)		

(1)	(2)	(3)	
4.1	आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	4	1
4.2	होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका	5	2
4.3	रेपरटरी	4	1
4.4	होम्योपैथिक फार्मेसी	3	1
5	सहायक प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
5.1	एनॉटमी	4	1
5.2	फिजियोलॉजी बायोकैमिस्ट्री सहित	3	1
5.3	सर्जरी	2	1
5.4	पैथॉलोजी एवं माईक्रोबायोलोजी	2	1
5.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलाजी	2	1
5.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	2	1
5.7	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	4	1
5.8	आब्सटैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	3	1
6	व्याख्याता/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)		
6.1	होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका	3	2
6.2	आर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन	4	2
6.3	रेपरटरी	1	1
6.4	होम्योपैथिक फार्मेसी	2	1
7	व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
7.1	एनाटमी	1	1
7.2	फिजियोलॉजी बायोकैमिस्ट्री सहित	2	1
7.3	सर्जरी	2	-
7.4	पैथॉलोजी एवं माईक्रोबायोलोजी	1	-
7.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टाक्सिकॉलोजी	1	-
7.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	2	-
7.7	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	4	1
7.8	आब्सटैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	2	1
	कुल पद	**82**	**29**

अनुसूची-III

अधिकारियों की भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र उससे नीचे के ग्रेड में न्यूनतम अर्हता सेवा अथवा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) में समूह 'क' कार्य पदों पर पदोन्नति ।

क्रमांक	नाम	भर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र और प्रोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधानाचार्य	चयन द्वारा पदोन्नति	संस्थान के प्राध्यापकों में से जिन्होंने प्रोफेसर के ग्रेड में कम से कम (6) छः वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
2.	प्रोफेसर सहबद्ध चिकित्सा विषय/ होम्योपैथिक विषय	रिक्तियों से अलग शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा (आई.एस.टी.सी.)	रीडर के ग्रेड में (6) छः वर्ष की नियमित सेवा अथवा रीडर एवं रीडर (गै.का.च.ग्रे.) के ग्रेड में सम्मिलित नियमित सेवा के (8) आठ वर्ष पूरे होने पर जिनमें कम से कम (2) दो वर्ष की नियमित सेवा रीडर (गै.का.च.ग्रे.) के ग्रेड में की हो ।
3.	रीडर (गै.का.च.ग्रे.) सहबद्ध चिकित्सा विषय/ होम्योपैथिक विषय	रिक्तियों से अलग शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	रीडर के ग्रेड में (2) दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

)	(2)	(3)	(4)
	रीडर सहबद्ध चिकित्सा विषय/होम्योपैथिक विषय	रिक्तियों से अलग शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा (आई.एस.टी.सी.)	लेक्चरर के ग्रेड में (6) छः वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
	व्याख्याता/लेक्चरर सहबद्ध चिकित्सा विषय/ होम्योपैथिक विषय	सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से	शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं आयु-सीमा के लिये अनुसूची V देखें ।

अनुसूची-IV

म्योपैथी शिक्षण संवर्ग की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति ।

धानाचार्य

(क)	अध्यक्ष/सदस्य, सं.लो.से.आ.	—	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	—	सदस्य
(ग)	सचिव विभाग से संबद्ध	—	सदस्य
(घ)	संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो ।	—	सदस्य

फेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय), रीडर गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड एवं रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं म्योपैथिक विषय) ।

(क)	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	
(ख)	सचिव विभाग से संबद्ध	
(ग)	संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो ।	

थायीकरण हेतु समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति ।

(क)	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	—	अध्यक्ष
(ख)	सचिव विभाग से संबद्ध	—	सदस्य
(ग)	संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो ।	—	सदस्य

टीप 1. मनोनीत अधिकारी सामान्यतः न्यूनतम उस स्तर से एक स्तर ऊपर होंगे जिसके लिए व्यक्तियों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना है ।

टीप 2. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में जहां आयोग विभागीय पदोन्नति समिति या विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष के साथ सहयोजित है उस स्थिति में समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हों ।

टीप 3. आयोग अधिकारियों के स्थायीकरण के मामलों पर विचार करते समय सहयोजित नहीं होगा । उस मामले में अन्य सदस्य समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेंगे तथा उनमें वरिष्ठ व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

टीप 4. सीधी भर्ती के स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया संस्तुति के लिये संघ लोक सेवा आयोग भेजी जाएगी । आयोग या सदस्य, सं.लो.से.आ. से संस्तुति नहीं मिलने पर प्रक्रिया रोक दी जाएगी ।

टीप 5. किसी अधिकारी के लिये विभागीय पदोन्नति समिति, डायनमिक एश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति के समान होगी ।

2112 DG/12-3

अनुसूची-V

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) में व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय/होम्योपैथिक विषय) पद पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम शिक्षा और अन्य अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा

क्रमांक	पदनाम	आयु	शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	35 वर्ष से अधिक न हो **टीप संख्या 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय । **टीप संख्या 2 :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बे जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।	**अनिवार्य योग्यता :** (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ चार वर्ष का व्यवसायिक अनुभव । अर्हता केन्द्रीय होम्यापैथिक परिषद् अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट हो । अथवा (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ चार वर्षों में से दो वर्षों में भारतीय चिकित्सा परिषद्/ केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त एक चिकित्सालय में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया हो । जबकि होम्योपैथिक कालेज में नियुक्त किये गये कर्मचारी नियमित शिक्षण कर्मचारी के रूप में (संशोधित विनियम 1983 की अधिसूचना से पहले) संबंधित विषय में निर्धारित अर्हता (न्यूनतम शैक्षणिक मानक) पूर्ण करते हों, शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति में इस विनियम के संलग्नक 'ग' के अनुसार माने जायेंगे ।
2.	व्याख्याता/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)	35 वर्ष से अधिक न हो **टीप संख्या 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय । **टीप संख्या 2 :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी लेकिन वह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बे जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।	**अनिवार्य योग्यता :** होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ चार वर्ष का व्यवसायिक अनुभव । अर्हता केन्द्रीय होम्यापैथिक परिषद् अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट हो ।

अनुसूची-VI

प्रतिनियुक्ति के लिये योग्यता आधार (अल्पकालीन संविदा सहित)

क्रमांक	पद	पात्रता मापदंड
(1)	(2)	(3)
1.	व्याख्याता/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय)	अनुसूची-V में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था/अर्धसरकारी निकाय/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के अधीन अधिकारी : (क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले । (ख) पे बैन्ड-2/वेतनमान (9300-34800 रुपये) 4800 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (2) दो वर्ष की नियमित सेवा । (ग) पे बैन्ड-2/वेतनमान (9300-34800 रुपये) 4800 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (3) तीन वर्ष की नियमित सेवा ।
2.	रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था//अर्ध सरकारी निकाय/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध-संस्थानों के अधीन अधिकारी । (क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले । (ख) पे बैंड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 5400 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (5) पांच वर्ष की नियमित सेवा और धारित योग्यताएं तथा अनुभव निम्नलिखित निर्धारित है— (क) **अनिवार्य योग्यता :** होम्योपैथिक कॉलेज में व्याख्याता/लेक्चरर के रूप में संबंधित विषय में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ व्याख्याता/लेक्चरर के रूप में संबंधित विषय में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा होम्योपैथी में डिप्लोमा जो कि 4 वर्ष से कम का न हो, के साथ संबंधित विषय में 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट अर्हता । **वांछनीय योग्यता :** (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक अथवा गाइड/को-गाइड के रूप में अनुभव । (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के भा.चि.प. एवं हो. के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अथवा शोध संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

क्रमांक	पद	योग्यता आधार
(1)	(2)	(3)
		अथवा (ख) **अनिवार्य योग्यता**-डिग्री स्तर के आयुर्विज्ञान संस्थान/होम्योपैथिक कॉलेज में लेक्चरर/प्रवक्ता के रूप में संबंधित विषय में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री । **वांछनीय योग्यता**-(क) केन्द्रीय होम्योपैथी अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट अर्हता, (ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव अथवा शोध संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

(1)	(2)	(3)
2.	रीडर (होम्योपैथिक विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था//अर्ध सरकारी निकाय/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध-संस्थानों के अधीन अधिकारी । (क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले । (ख) पे बैन्ड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 5400 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा और धारित योग्यताएं तथा अनुभव निम्नलिखित निर्धारित है— **अनिवार्य योग्यता** : होम्योपैथिक कॉलेज में व्याख्याता/लेक्चरर के रूप में संबंधित विषय में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ व्याख्याता/लेक्चरर के रूप में संबंधित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा होम्योपैथी में डिप्लोमा जो कि चार वर्ष से कम का न हो, के साथ संबंधित विषय में पन्द्रह वर्ष का अध्यापन अनुभव/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम 1973 कि द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट अर्हता । **वांछनीय योग्यता** : (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक अथवा गाइड/को-गाइड के रूप में अनुभव । (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के भा.चि.प. एवं होम्यो. के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अथवा शोध संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।
3.	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था//अर्ध सरकारी निकाय/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के अधीन अधिकारी । (क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले । (ख) पे बैन्ड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 7600 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (5) पांच वर्ष की नियमित सेवा । (ग) पे बैन्ड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 6600 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (10) दस वर्ष की नियमित सेवा और धारित योग्यताएं तथा अनुभव निम्नलिखित निर्धारित हैं - (क) **अनिवार्य योग्यता** : संबंधित विषय में रीडर के रूप में दो वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ रीडर के रूप में संबंधित विषय में छः वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा होम्योपैथी में डिप्लोमा जो कि चार वर्ष से कम का न हो, के साथ संबंधित विषय में होम्योपैथिक कालेज में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 की द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट अर्हता । **वांछनीय योग्यता** : (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पर्यवेक्षक/गाइड के रूप में अनुभव अथवा अनुसंधान में मौलिक प्रकाशन । (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के भा.चि.प. एवं हाम्योपैथी के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अथवा शोध संस्थान में अनुसंधान अनुभव । अथवा (ख) अनिवार्य योग्यता : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री ।

(1)	(2)	(3)
		(ii) डिग्री स्तर के होम्योपैथिक कालेज में रीडर के रूप में पांच वर्ष का अथवा 13 वर्ष का अध्यापन अनुभव ।
		वांछनीय योग्यता :
		(i) केन्द्रीय होम्योपैथी अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट अर्हता ।
		(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव अथवा शोध संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।
3.	प्रोफेसर (होम्योपैथिक विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र/संवैधानिक/स्वायत्तशासी संस्था//अर्ध सरकारी निकाय/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त शोध-संस्थानों के अधीन अधिकारी ।
		(क) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले ।
		(ख) पे बैन्ड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 7600 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (05) पांच वर्ष की नियमित सेवा ।
		(ग) पे बैन्ड-3/वेतनमान (15600-39100 रुपये) 6600 रुपये ग्रेड पे के साथ ग्रेड में (10) दस वर्ष की नियमित सेवा और निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव निम्नलिखित निर्धारित हैं –
		अनिवार्य योग्यता : संबंधित विषय में रीडर के रूप में दो वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ स्नातकोत्तर अर्हता अथवा होम्योपैथी में डिग्री के साथ रीडर के रूप में संबंधित विषय में छः वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा होम्योपैथी में डिप्लोमा जो कि चार वर्ष से कम का न हो, के साथ संबंधित विषय में होम्योपैथिक कालेज में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट अर्हता ।
		वांछनीय योग्यता :
		(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पर्यवेक्षक/गाइड के रूप में अनुभव अथवा अनुसंधान में मौलिक प्रकाशन ।
		(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के भा.चि.प. एवं हो. के अंतर्गत किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अथवा शोध संस्थानों में अनुसंधान अनुभव ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से एवं उनके नाम पर,
प्रवीण वर्मा, उप-सचिव (स्वास्थ्य)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2012

No. F. 2/206/2002/DISMH/Homeo/2405.—In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated 24-9-1968, the Lt. Governor of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission, is pleased to make the rules regarding the method of recruitment to Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homeopathy) under Health and Family Welfare Department Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homeopathy) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in respect of Group "A" posts of the Service;

(d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;

(e) "Government" means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239 AA of the Constitution of India;

2112 Eg/12-4

(f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "Service" means the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homeopathy);

(i) "Allied Medical Subject" means the subject of Anatomy, Physiology including Biochemistry, Pathology and Microbiology, Forensic Medicine and Toxicology, Practice of Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology and Community Medicine.

(j) "Homoeopathic Subjects" means the subject of Organon of Medicine, Homeopathic Pharmacy, Homoeopathic Materia Medica and Repertory.

3. Constitution of Service.—(1) These shall be constituted a Service known as Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy) (Group 'A') consisting of persons, appointed under rules 7 and 8 of these Rules.

(2) All the posts included in the Service shall be Group 'A' posts.

4. Composition of the Service.—All duty posts, included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

5. Authorised strength of the Service.—(a) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.

(b) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may vary from time to time, be determined by the Government.

(c) The Government may take temporary addition to or reduction in, the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

(d) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(e) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (d), to the appropriate grade of the Service, in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(f) Upto 10% of the total number of posts in each sub-cadre (excluding Senior Administrative Grade posts) shall be included in the service as training/leave/deputation reserve.

6. Members of the Service.—(1) The following persons shall be members of the Service, namely :—

(a) Persons appointed under sub-rule (e) of rule 5,

(b) Persons appointed to duty posts under rule 7,

(c) Persons appointed to duty posts under rule 8, and

(2) A person, appointed under clause (b) of the Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

7. Initial Constitution of the Service.—(1) All the officers appointed under the Delhi Health Service of the Teaching Cadre of Homoeopathy on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of promotion, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(a) The existing Medical Officer (Teaching) of Homoeopathy shall be assessed by the Commission on the basis of qualifications prescribed for the direct recruitment for the post of Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) as given in Schedule-V for placing them in the re-designated post of Lecturers (Allied Medical Subjects and Homoeopathic subjects) in the initial constitution.

(b) The Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) recruited by Commission shall be deemed to be absorbed as members of service.

(c) The existing Assistant Professors (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) shall be assessed by the Commission on the basis of qualification prescribed for the post of Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) in Central Council of Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983 (as amended up to September, 2002) and mentioned in

Schedule-VI, for placing them in the re-designated post of Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) in the initial constitution.

(d) The existing Professor working in the pay scale of Rs. 10000-15200 (PR) revised to Rs. 15600-39100+GP Rs. 6600 shall be assessed by the Commission for placing them in the upgraded pay scale of Rs. 37400-67000+GP Rs. 8700 at the initial constitution on completion of 10 years regular service in the grade. If assessed suitable, he/she shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed "not suitable", for appointment to the upgraded post he/she shall continue to be in the pre-revised scale of Rs. 10000-15200 (Pre-Revised) and his case would be reviewed every year.

(e) The existing Principal, working in the grade of Rs. 12000-16500 (Pre-Revised)/15600-39100+7600 (GP) [Revised] shall be assessed by the Commission for placing them in the upgraded scale of Rs. 37,400-67,000+10,000 (GP) at the initial constitution on completion of 8 years regular service in the grade. If assessed suitable, he/she shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed "not suitable", for appointment to the upgraded post he/she shall continue to be in the pre-revised scale of Rs. 12000-16500 (Pre-Revised)/15600-39100+7600 (GP) [Revised] and their case would be reviewed every year.

8. Future Maintenance of Service.—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) The entry in the teaching cadre shall be at the level of Lecturer (Homoeopathic Subject) and Lecturer (Allied Medical Subjects) in the scale of Rs. 15,600-39100+5400 (GP). The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the respective posts shall be as specified in Schedule-III.

(3)(a) The Departmental Promotions shall be confirmed to officers of the cadres.

(b) The Departmental Promotions to the higher posts shall be made on the basis of seniority cum fitness from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade on the recommendations of Departmental Promotion Committee constituted as at Schedule-IV.

(4) If any officer appointed to any grade in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service.

(5)(a) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority cum fitness basis), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendations made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(b) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment to the post of Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathy Subjects) in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

NOTE: Vacancies caused by the incumbents to the post of Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathy Subjects) being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central/State Government/Union Territories/Statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research institutions as per norms prescribed in Schedule-V.

9. Filling of Teaching Posts by Deputation (Including short-term contract[ISTC].—(1) Notwithstanding anything contained in rule 8, where posts of Professor (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) and Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) are not filled by promotion and the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in view of the exigency, it may for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, fill required number of posts at the level of Professor (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) and Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) by deputation (ISTC) from suitable officers holding analogous posts on regular basis under the Central Government/State Government/Union Territories and by Short-Term Contract in statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research Institutions.

(2) The period of deputation (ISTC) shall ordinary not exceed three years, which may, in special

circumstances be extended up to five years, as the Government may think fit.

(3) For appointment to duty posts on deputation (Including Short-Term Contract) basis, the officer shall, among others, fulfill the minimum educational and other qualifications prescribed for the posts in Schedule-VI to these rules.

10. Seniority.—(a) The relative seniority of members of the service appointed to a grade in the respective sub-cadres, as the case may be, at the time of initial constitution of the service under rule 6(1), shall be as obtaining on the date of commencement of these rules.

Provided that if the seniority of any such members had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules or in consultation with the Commission as the case may be.

(b) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6(1) shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in the matter from time to time.

(c) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (e) of rule 5 shall be fixed in the manner provided therein.

(d) In case not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

11. Probation.—(a) Every officer appointed to the service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year.

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government of India from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

(b) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.

(c) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government of NCT of Delhi is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(d) During the period of probation or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(e) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

12. Appointment to the Service.—All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

13. Liability for service and other condition of service.—(a) Officers appointed to the service shall be liable to serve any where in Delhi.

(b) Private practice is prohibited.

(c) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

(d) Such persons shall be entitled to a Non-practice allowance at the rates specified in Schedule-I.

(e) The conditions of service of the member in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

(f) Officers appointed under Sub-rule (1) of rule 6, prior to 1-1-2004, before the commencement of these Rules, shall be governed by the CCS (Pension) Rules, 1972.

(g) Officers appointed under sub-rule (1) of rule 6, after 1-1-2004, shall be governed by the new Pensions Scheme.

14. Disqualification.—No person shall be eligible for appointment to the Service—

(a) who has entered into a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

15. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

17. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government in consultation with the Commission shall decide it.

18. Repeal.—The recruitment rules for the post of Medical Officer (Teaching), (Homoeopathy), Assistant Professor, Allied and Homoeopathic, Professor, and Principal notified by notification No. F. No. 33/3/90-H&FW-II dated 3-8-1999, F. No. 1/8/99-H&FW dated 11-8-2001 and F. No. 53/10/97-H&FW dated 10-6-1998 shall stand repealed with notification of these rules.

SCHEDULE-I

Grade, Scales of Pay and Non-practicing Allowances etc.,

Group "A" posts included in the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy)

I. Grade and Scale of Pay

S No.	Grade	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)
1.	Principal	PB-4 Rs. 37400-67000 GP Rs. 10000
2.	Professor (Allied Medical Subject)	PB-4 Rs. 37400-67000 GP Rs. 8700
3.	Professor (Homoeopathic Subject)	PB-4 Rs. 37400-67000 GP Rs. 8700
4.	Reader NFSG (Allied Medical Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 7600
5.	Reader NFSG (Homoeopathic Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 7600
6.	Reader (Allied Medical Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 6600
7.	Reader (Homoeopathic Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 6600
8.	Lecturer (Allied Medical Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 5400
9.	Lecturer (Homoeopathic Subject)	PB-3 Rs. 15600-39100 GP Rs. 5400

II. Non-Practicing Allowance

Admissible as per orders issued from time to time by the Central Government endorsed by Government of NCT of Delhi.

III. Annual Allowances

Conveyance allowance/Academic allowance admissible as per orders issued from time to time by the Central Government endorsed by Government of NCT of Delhi in this regard.

SCHEDULE-II

Authorized Strength of Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy)

S. No.	Designation	No. of Posts	
(1)	(2)	(3)	
		NHMC	SHMC
1.	**Principal**	1	1
2.	**Professor (Homoeopathic Subject)**		
2.1	Organon of Medicine	3	1
2.2	Homoeopathic Materia Medica	3	1
2.3	Repertory	2	1
2.4	Homoeopathic Pharmacy	2	1

2112 DG/12-5

(1)	(2)	(3)	
3.	**Professor (Allied Medical Subject)**		
3.1	Anatomy	1	-
3.2	Physiology including Biochemistry	1	-
3.3	Surgery	1	-
3.4	Pathology & Microbiology	1	-
3.5	Forensic Medicine and Toxicology	1	-
3.6	Community Medicine	1	-
3.7	Practice of Medicine	1	1
3.8	Obstetrics and Gynecology	1	-
4.	**Assistant Professor/Reader (Homoeopathic Subject)**		
4.1	Organon of Medicine	4	1
4.2	Homoeopathic Materia Medica	5	2
4.3	Repertory	4	1
4.4	Homoeopathic Pharmacy	3	1
5.	**Assistant Professor/Reader (Allied Medical Subject)**		
5.1	Anatomy	4	1
5.2	Physiology including Biochemistry	3	1
5.3	Surgery	2	1
5.4	Pathology & Microbiology	2	1
5.5	Forensic Medicine and Toxicology	2	1
5.6	Community Medicine	2	1
5.7	Practice of Medicine	4	1
5.8	Obstetrics and Gynecology	3	1
6.	**Lecturer Homoeopathic Subject**		
6.1	Homoeopathic Materia Medica	4	2
6.2	Organon of Medicine	3	2
6.3	Repertory	1	1
6.4	Homoeopathic Pharmacy	2	1
7.	**Lecturer Allied Medical Subject**		
7.1	Anatomy	1	1
7.2	Physiology including Biochemistry	2	1
7.3	Surgery	2	-
7.4	Pathology & Microbiology	1	-
7.5	Forensic Medicine and Toxicology	1	-
7.6	Community Medicine	2	-
7.7	Practice of Medicine	4	1
7.8	Obstetrics and Gynecology	2	1
	Total Posts	**82**	**29**

Schedule - III

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade for promotion of officers to Group "A" duty post in the Delhi Health Service of Teaching Cadre of Homoeopathy.

S. No.	Name	Method of Recruitment	Field of Selection and the minimum qualifying service for Promotion
1	Principal	Promotion by selection	Out of the Professors of Homoeopathic Institutions having minimum (06) (six) years of regular service in the grade.
2	Professor (Allied Medical Subjects/ Homoeopathic subjects)	100% by promotion without linkage to vacancies falling which by deputation (ISTC).	Reader (NFSG) with six (06) years of regular service in the Grade or completion of (08) eight years of combined regular service in the grade of Reader (NFSG).
3	Reader NFSG (Allied Medical Subjects/ Homoeopathic subjects)	100% by promotion and without linkage to vacancies.	Reader with (02) two years of regular service in the grade.
4	Reader (Allied Medical Subjects/ Homoeopathic subjects)	100% by promotion without linkage to vacancies failing which by deputation (ISTC).	Lecturer with (06) six years of regular service in the grade
5.	Lecturer (Allied Medical/ Homoeopathic subjects)	By direct recruitment in consultation with the Union Public Service Commission	See Schedule V for educational qualifications, experience and age limits etc.

SCHEDULE - IV

Group 'A' Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion in Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homeopathy).

Principal

A	Chairman/Member, UPSC	—	Chairman
B	Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	—	Member
C	Secretary concerned in the Department	—	Member
D	HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi	—	Member

Professor (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects)/Reader NFSG and Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects)

A	Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi		
B	Secretary concerned in the Department		
C	HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi		

Group "A" Departmental Promotion Committee (DPC) (for confirmation)

A	Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	—	Chairman
B	Secretary concerned in the Department	—	Member
C	HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi	—	Member

Note 1 : The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

Note 2 : The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission, where the Commission is associated in the DPC or the Chairman of the DPC, shall not invalidate then proceeding of the Committee, if more than half of the members of the Commission had attended the meetings.

Note 3 : The Commission shall not be associated while considering cases of confirmation of officers. In that case, other members will constitute the Group "A" Departmental Promotion Committee and the senior most among them will preside over the meeting.

Note 4 : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the commission or a member of the UPSC shall be held.

Note 5 : DPC for an officer under the Dynamic Assured Career Progression Scheme shall be the same as the DPC for promotion.

SCHEDULE - V

Minimum educational other qualifications and experience and age limit for direct recruitment to the post of lecturer in Allied Medical Subjects/Homoeopathic Subjects in the Delhi Health Service of Teaching Cadre of Homoeopathy.

S. No.	Name of the Post	Age	Educational and other qualifications required
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lecturer in Allied Medical Subjects	Not exceeding 35 years. **Note 1 :** (Relaxable Government servants in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time time). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh & Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep).	**Essential Qualification : a.** Post Graduate qualification in Homoeopathy or a Degree in Homoeopathy with four years of professional experience. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. OR **b.** Post Graduate Medical Degree in concerned subject recognized by the Medical Council of India with four years professional experience out of which two years as Resident Medical Officer in a Medical Council Hospital of India with four years professional experience out of which two years as resident Medical Officer in a Hospital recognised by Medical Council of India/Central Council of Homoeopathy : Provided that the teaching experience in the concerned subject of persons appointed as regular teaching staff in Homoeopathic Colleges (prior to Notification of these amended regulations) fulfilling the prescribed requirements of Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983 shall becounted for appointment of teaching staff as per Annexure 'C' to these regulations.
2.	Lecturer in Homoeopathic subjects.	Not exceeding 35 years. **Note 1 :** (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates	**Essential Qualification :** Post Graduate qualification on Homoeopathy or Degree in Homoeopathy with four years of professional experience. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(3)
in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh & Andaman . & Nicobar Island & Lakshadweep).

SCHEDULE-VI

Eligibility criteria for Deputation (including Short-Term Contract)

Sl. No.	Post	Eligibility Criteria
(1)	(2)	(3)
	Reader (Allied Medical Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research institutions. **(a)** Holding analogous posts on regular basis; **(b)** With (05) five years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs. 5400; and Possessing the qualifications experience prescribed as under : and **A. Essential Qualification :** Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years *of* teaching experience as Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College or a Degree in Homoeopathy with ten years teaching experience as Lecturer in the concerned subject or Diploma in Homoeopathy *of* not less than four years duration with fifteen years teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College. The qualification shall be the one included in Second Schedule *of* Homoeopathy Central Council Act, 1973. **Desirable Qualifications : a.** Experience as a Supervisor/ Co-Supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Programme in Homoeopathy. **b.** Administrative experience or Research experience in a research institution under the Department of ISM & Homoeopathy of State Government or Central Government in a responsible position. OR **B. Essential Qualification:** Post Graduate Medical degree in concerned medical subject recognized by the Medical Council of India with four years teaching experience as Lecturer in the subject concerned in a degree level Medical Institution/ Homoeopathic College. **Desirable Qualifications: (a)** Qualification included in the Third Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(1)	(2)	(3)
		(b) Administrative experience or Research experience in a research institution under the State Government or Central Government in a responsible.
2.	Reader (Homoeopathic Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research institutions. **(a)** Holding analogous posts on regular basis; **(b)** With (05) five years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs. 5400; and Possessing the qualifications and experience prescribed as under : **Essential Qualification :** Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years of teaching experience as Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College or a Degree in Homoeopathy with ten years of experience, as Lecturer in the concerned subject or Diploma in Homoeopathy of not less than four years duration with fifteen years teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. **Desirable Qualifications: (a)** Experience as a Supervisor/ Co-Supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Programme in Homoeopathy. **(b)** Administrative experience or Research experience in a research institution under the Department of ISM & Homoeopathy of State Government or Central Government in a responsible position.
3.	Professor (Allied Medical Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research institutions. **(a)** Holding analogous posts on regular basis; **(b)** With (05) five years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600; **(c)** With (10) ten years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 (Rs.1560Q-39100) with Grade Pay Rs. 6600; and Possessing the qualifications experience prescribed as under: **A. Essential Qualification:** Post Graduate qualification in Homoeopathy with two years of teaching experience as Reader in the concerned subject or Degree a in Homoeopathy with 6 years of teaching experience as Reader in the concerned subject or Diploma in Homoeopathy of not less than 4 years duration with ten years teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. **Desirable Qualifications: (a)** Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy or original publication in research. **(b)** Administrative experience or Research Experience in a

(1)	(2)	(3)
		research institution under the Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy of State Government or Central Government in a responsible position. OR **B. Essential Qualification: (i)** Post Graduate Medical Degree in the concerned subject recognized by the Medical Council of India. **(ii)** Five years teaching experience as Reader or thirteen years teaching experience in the subject concerned in a degree level Homoeopathic College. **Desirable Qualifications : (i)** Qualification included in the Third Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. **(ii)** Administrative experience or Research experience in a research institution under the State Government or Central Government in a responsible position.
4.	Professor (Homoeopathic Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/statutory/autonomous bodies/semi-government organizations/universities/recognized research institutions. **(a)** Holding analogous posts on regular basis; **(b)** With (05) five years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay Rs.7600; **(c)** With (10) ten years regular service in the grade in the scale of Pay/Pay Band-3 [Rs.15600-39100] with Grade Pay Rs.6600; and Possessing the qualifications and experience prescribed as under: **Essential, Qualification :** Post Graduate qualification in Homoeopathy with two years of experience as Reader or a Degree in Homoeopathy with 6 years of teaching experience as or Diploma in Homoeopathy of not less than 4 years duration with ten years teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973: **Desirable Qualifications : (a)** Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy or original publication in research. **(b)** Administrative experience or Research Experience in a research institution under the Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy of State Government or Central Government in a responsible position.

By Order and in the Name of
Lt. Governor N.C.T. of Delhi,
PRAVEEN VERMA,, Dy. Secy. (Health)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.